कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: - जी.डी.-I / बाह्य स्त्रोत/डी.ई.ओ./2023-24/D-493

दिनांक 02.03.2023

निविदा सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) हेतु 03 डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मीयो को बाह्य स्त्रोत के आधार पर ठेके पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते इस कार्यालय की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en) तथा सी.पी.पी. पोर्टल पर उपलब्ध है।

हस्ता./-व. उपमहालेखाकर (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: जी.डी.।/बाह्य स्त्रोत डी.ई.ओ./बिड/ 2023-24/के.

दिनांक:

विषय:- 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर को बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर रखने हेतु।

- 1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अपने कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 (अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024) तक 03 (तीन) डाटा एन्ट्री आपरेटर को बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर लेने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से जो कि ऐसे कार्य में निपुण हो तथा विभिन्न सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालयों में एैसी पूर्ति करती रही हो उनसे निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा में दरें प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये प्रारूप में देनी होगी।
- 2. कार्य का प्रकार:- ठेके पर रखे गये कर्मचारियों को डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग सम्बन्धी कार्य करना होगा।
- 3. निविदा की योग्यताऐं:-
- (i) फर्म अवश्य ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत/प्रमाणित हो तथा उसका कार्यालय परिसर जयपुर में हो।
- (ii) फर्म का अपना वैध PAN/TAN, BRN (Business Registration Number) तथा GST पंजीकरण प्रमाण पत्र हो ।
- (iii) फर्म ESIC तथा EPFO प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो ।
- (iv) फर्म ने कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त शाषी संस्थाओं में कार्य करते हुए प्राप्त किया हो । इस संबंध में सभी दस्तावेज साथ में संलग्न होने चाहिए ।
- (v) फर्म श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करती हो।
- (vi) निविदा केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- 1. निविदा के साथ राशि रूपये 21,500/- (अक्षरे राशि रूपये इक्कीस हजार पांच सौ मात्र) बतौर धरोहर राशि निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट (Pay & Accounts Officer, IA&AD, Rajasthan, Jaipur) के नाम से जमा करानी होगी।
- धरोहर राशि का साक्ष्य बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा साथ ही बिड की अंतिम तारीख/ खोलने की तारीख से पांच दिन पूर्व मूल डी.डी. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 3. जिस फर्म को ठेका मंजूर नहीं होगा उसकी धरोहर राशि की रकम मूल रूप से लौटा दी जावेगी। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेण्डर से विमुख होगा या 5 दिन में प्रतिभूति की रकम जमा नहीं करायेगा व अनुबंध नहीं भरेगा तो उसकी धरोहर राशि की रकम जब्त कर ली जावेगी।
- जिस फर्म का ठेका मंजूर होगा उसे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) से सूचना मिलने के
 3 दिन के अन्दर रूपये 3% (तीन) प्रतिशत राशि बतौर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- 5. ठेकेदार, दैनिक दरें, निर्धारित प्रारूप में, लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए देनी होगी तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का प्रमाण मांगने पर देना होगा।
- 6. फर्म द्वारा उपबल्ध करवाये जा रहे डाटा एन्ट्री आपरेटर में निम्न योग्यता होनी चाहिए:-
 - (i) कर्मचारी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो एवं न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
 - (ii) उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA/BCA/PGDCA इत्यादि का डिग्री धारक हो या किसी अन्य कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स किया हआ हो ।
 - (iii) एम.एस. आफिस/एम.एस.एक्सेल इत्यादि एप्लीकेशन में कुशल होना आवश्यक है।
 - (iv) डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य कम से कम 15000 key-Depression प्रति घण्टे की गति से करता हो । गति का निर्धारण कम्प्यूटर पर गति परीक्षण द्वारा किया जावेगा ।
 - (v) कर्मचारी अच्छा व्यवहार, स्व-अनुशाषित, विनम्र होना चाहिए।
- 7. ठेके की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इच्छुक फर्म को ठेका प्रारम्भ में एक साल की अवधि के लिए दिया जावेगा। कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर अवधि बढाई जा सकती है।
- 8. कार्य दिवसों में कार्य साधारणतया प्रात: 9.30 से सांय 6.00 बजे तक का होगा । एक माह में आवश्यकतानुसार 20 से 26 कार्यदिवस होंगें।
- 9. निर्धारित समय पर आवंटित कार्य न करने पर हुई असुविधा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 10.ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी के सद्व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा, उचित व्यवहार न करने वाले कर्मचारी को शिकायत मिलने पर काम से हटाना होगा।

- 11.GST, EPF, ESIC इत्यादि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा व इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 12.ठेकेदार को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।
- 13.ठेकेदार को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी सभी हिदायतों व आदेशों का अनुबंध में समावेश ना होते हुए भी पालना करना होगा।
- 14. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये एक माह का लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा। यदि एक माह का नोटिस दिये बगैर ठेकेदार छोड देता है तो उसकी समस्त जमा राशियां जब्त की जा सकेंगी।
- 15.इस ठेके के अर्न्तगत किस भी शर्त अथवा दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 16.फर्म अपने कर्मचारी को फोटो वाला पहचान पत्र देगी जो कि कार्य के दौरान पहने रहेंगें।
- 17.फर्म निम्न प्रकार के अधिनियमों का पालन करेगी तथा किसी प्रकार की कमी होने पर स्वंय जिम्मेदारी होगी:-
 - (a) Contract labor (Regulation & Abolition), Act 1970.
 - (b) Minimum Wages Act.
 - (c) Workmen's Compensation Act.
 - (d) Any other rules, regulations and/ or statutes as may be applicable to them from time to time.
- 18.ठेकेदार अपने व कर्मचारी के निवास स्थान का पूरा पता मय सबूत (आधार कार्ड या परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) लिखित में देगा ताकि डाक द्वरा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये नोटिस पत्र या सूचना ठेकेदार को प्राप्त हो सके।
- 19.फर्म जिस कर्मचारी को कार्य पर रखेगी उनको कार्यालय के नियमों का पालन करना होगा तथा कार्यालय की कोई भी सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा।
- 20.ठके पर रखे जाने वाले कर्मचारी केवल और केवल ठेके के कर्मचारी होगें उनके साथ कार्यालय का कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा तथा बाद में वह नियमित कर्मचारी होने का कोई भी दावा पेश नहीं करेगा।
- 21. ठेकेदार की प्रतिभूति की राशि ठेका समाप्त होने के तीन माह के बाद लौटाई जावेगी। ठेके की समाप्ति पर या ठेके की शर्त के प्रावधान की कार्यवाही के बाद प्रतिभूति की राशि अथवा बची हुई राशि ठेकेदार को उनके लिखित आवेदन पर लौटा दी जावेगी।
- 22.उक्त शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को 500/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमति पत्र देना होगा।
- 23.यदि ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई या उसके खिलाफ कोई शिकायत पायी गयी तो उस कर्मचारी को उसी दिन कार्यस्थल से हटाकर अविलंब अन्य कर्मचारी को लगाना होगा तथा उस कर्मचारी की उस दिन की मजदूरी देय नहीं होगी।

- 24.फर्म को राशि का भुगतान प्रत्येक महीने दिनों के हिसा से माह की 10 तारीख तक कर दिया जावेगा। इसके लिए उसको अपने कर्मचारी की मासिक उपस्थिति प्रत्येक महीने के अन्त में प्रस्तुत करनी होगी।
- 25.ठेकेदार को आवश्यकतानुसार 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर की संख्या से तीन गुणा प्रस्तावित डाटा एन्ट्री आपरेटर की सूची देगा, जिसमें से इस कार्यालय को चयन करने का अधिकार रहेगा।
- 26. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय-समय पर TDS काटा जायेगा।
- 27.यदि यह प्रमाणित होता है कि कार्यालय के परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सरकारी संपत्ति के साथ छेड-छाड की गई है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जावेगी।
- 28. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

हस्ता./-वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.





Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या): GEM/2023/B/3213144 Dated/दिनांक : 02-03-2023

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण				
Bid End Date/Time/बिंड बंद होने की तारीख/समय	15-03-2023 11:00:00			
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	15-03-2023 11:30:00			
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	30 (Days)			
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Comptroller And Auditor General (cag) Of India			
Department Name/विभाग का नाम	Na			
Organisation Name/संगठन का नाम	Accountant General, Rajasthan			
Office Name/कार्यालय का नाम	Accountant General (a&e) Rajasthan			
ltem Category/मद केटेगरी	Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; Admin; Data Entry Operator			
Contract Period	1 Year(s)			
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	40 Lakh (s)			
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)			
Past Experience of Similar Services required	Yes			
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/ and Turnover	Yes			
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/ and Turnover	Yes			
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria, Bidder Turnover, Certificate (Requested in ATC), Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer			
Bid to RA enabled/बिंड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No			

Bid Details/बिड विवरण		
Type of Bid/बिंड का प्रकार	Single Packet Bid	
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days	
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation	

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाईजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	21500

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Advisory Bank	State Bank of India	
ePBG Percentage(%)/ईपीबीजी प्रतिशत (%)	3.00	
Duration of ePBG required (Months)/ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने).	15	

- (a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।
- (b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :

PAO

PR. Accountant General (a&e) Rajasthan, NA, Accountant General, Rajasthan, Comptroller and Auditor General (CAG) of India

(Pao laad Rajasthan Jaipur)

Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied.

MII Compliance

MII Compliance	Yes

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes	
---	-----	--

- 1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
- 2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
- 3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
- 4. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid data sheet (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU / Public Listed Company. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
- 5. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference for services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price.
- 6. Past Experience of Similar Services: The Bidder must have successfully executed / completed at least one single order of 80 % of the Estimated Bid Value or 2 orders each of 50 % of the Estimated Bid Value or 3 orders each of 40 % of the Estimated Bid Value for similar service(s) in last three years to any Central / State Govt Organization / PSU / Public Listed Company. Copies of contracts / work orders and documentary evidence of successful execution / completion in support of Past Experience of Similar Services along with names, address and contact details of clients shall be uploaded with the bid for verification by the Buyer.

Additional Qualification/Data Required

Scope of work & Job description:1677755108.pdf

Buyer to upload undertaking that Minimum Wages indicated by him during Bid Creation are as per applicable Minimum Wages $Act: \underline{1677755251.pdf}$

Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Skilled; Admin; Data Entry Operator (3)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification	Values		
Core			
Skill Category	Skilled		
Type of Function	Admin		
List of Profiles	Data Entry Operator		

Specification	Values			
Educational Qualification	High School			
Specialization	Not Required			
Post Graduation Not Required				
Specialization for PG	Not Applicable			
Experience	0 to 3 Years			
State	NA			
Zipcode	NA			
District	NA			
Addon(s)				
Additional Details				
Title for Optional Allowances 1				

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

Consignees/Reporting Officer/परेषिती / रिपोर्टिंग अधिकारी

Consignee Reporting/Offi परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी		Number of Resources to be hired	Additional Requirement
--	--	---------------------------------------	---------------------------

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement
1	Manoj Kumar	302005,OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(A&E) RAJASTHAN, JAIPUR, JANPATH, NEAR STATUE CIRCLE, JAIPUR	3	 Bonus (INR per day): 0 EDLI (INR per day): 0 EPF Admin Charge (INR per day): 0 Minimum daily wage (INR) exclusive of GST: 788 Optional Allowances 1 (INR per day): 0 Optional Allowances 2 (INR per day): 0 Optional Allowances 3 (INR per day): 0 Optional Allowances 3 (INR per day): 0 ESI (INR per day): 25.61 Number of working days in a month: 26 Provident Fund (INR per day): 102.44 Tenure/ Duration of Employment (in months): 12

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तैं

1. Generic

- 1. The Seller shall not assign the Contract in whole or part without obtaining the prior written consent of buver.
- 2. The Seller shall not sub-contract the Contract in whole or part to any entity without obtaining the prior written consent of buyer.
- 3. The Seller shall, notwithstanding the consent and assignment/sub-contract, remain jointly and severally liable and responsible to buyer together with the assignee/ sub-contractor, for and in respect of the due performance of the Contract and the Sellers obligations there under.

2. Purchase Preference (Centre)

Procurement under this bid is reserved for purchase from Micro and Small Enterprises whose credentials are validated online through Udyog Aadhaar/URC for that product/service category. If the bidder wants to avail the reservation benefit, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service.

3. Service & Support

AVAILABILITY OF OFFICE OF SERVICE PROVIDER: An office of the Service Provider must be located in the state of Consignee. DOCUMENTARY EVIDENCE TO BE SUBMITTED.

4. Service & Support

Dedicated /toll Free Telephone No. for Service Support : BIDDER/OEM must have Dedicated/toll Free Telephone No. for Service Support.

5. Service & Support

Escalation Matrix For Service Support : Bidder/OEM must provide Escalation Matrix of Telephone Numbers for Service Support.

6. Certificates

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

7. Payment

PAYMENT OF SALARIES AND WAGES: Service Provider is required to pay Salaries / wages of contracted staff deployed at buyer location first i.e. on their own and then claim payment from Buyer alongwith all statutory documents like, PF, ESIC etc. as well as the bank statement of payment done to staff.

8. Past Project Experience

Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.Proof for Past Experience and Project Experience clause: For fulfilling the experience criteria any one of the following documents may be considered as valid proof for meeting the experience criteria:a. Contract copy along with Invoice(s) with self-certification by the bidder that service/supplies against the invoices have been executed.b. Execution certificate by client with contract value.c. Any other document in support of contract execution like Third Party Inspection release note, etc.

9. Forms of EMD and PBG

Successful Bidder can submit the Performance Security in the form of Fixed Deposit Receipt also (besides PBG which is allowed as per GeM GTC). FDR should be made out or pledged in the name of

PAO IAAD RAJASTHAN JAIPUR

A/C (Name of the Seller). The bank should certify on it that the deposit can be withdrawn only on the demand or with the sanction of the pledgee. For release of Security Deposit, the FDR will be released in favour of bidder by the Buyer after making endorsement on the back of the FDR duly signed and stamped along with covering letter. Successful Bidder has to upload scanned copy of the FDR document in place of PBG and has to ensure delivery of hard copy of Original FDR to the Buyer within 15 days of award of contract.

10. Buyer Added Bid Specific ATC

Ruver	habba	tovt	hasad	ΔTC	clauses
buver	Added	LEXL	paseu	AIL	ciauses

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: जी.डी.।/बाह्य सुत्रोत डी.ई.ओ./बिड/ 2023-24/के.

दिनांक:

विषय:- 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर को बाह्य सुत्रोत पर ठेके पर रखने हेत्।

- 1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अपने कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 (अविध 01.04.2023 से 31.03.2024) तक 03 (तीन) डाटा एन्ट्री आपरेटर क ो बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर लेने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से जो कि ऐसे कार्य में निपुण हो तथा विभिन्न सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालयों में एैसी पूर्ति करती रही हो उन से निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा में दरें प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये प्रारूप में देनी होगी।
- 2. कार्य का प्रकार:- ठेके पर रखे गये कर्मचारियों को डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य एवं हिन्दी एवं अंग्रे जी टाईपिंग सम्बन्धी कार्य करना होगा ।
- 3. निविदा की योग्यताएं:-
- (i) फर्म अवश्य ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत/प्रमाणित हो तथा उसका कार्यालय परिसर जयपुर में हो ।
- (ii) फर्म का अपना वैध PAN/TAN, BRN (Business Registration Number) तथा GST पं जीकरण प्रमाण पत्र हो ।
- (iii) फर्म ESIC तथा EPFO प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो ।
- (iv) फर्म ने कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त शाषी संस् थाओं में कार्य करते हुए प्राप्त किया हो । इस संबंध में सभी दस्तावेज साथ में संलग्न होने चाहिए ।
- (v) फर्म श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करती हो ।
- (vi) निविदा केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी ।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- 1. निविदा के साथ राशि रूपये 21,500/- (अक्षरे राशि रूपये इक्कीस हजार पांच सौ मात्र) बतौर धरो हर राशि निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट (Pay & Accounts Officer, IA&AD, Rajasthan, Jai pur) के नाम से जमा करानी होगी।
- 2. धरोहर राशि का साक्ष्य बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा साथ ही बिड की अंतिम तारीख/ खोलने क ी तारीख से पांच दिन पूर्व मूल डी.डी. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- 3. जिस फर्म को ठेका मंजूर नहीं होगा उसकी धरोहर राशि की रकम मूल रूप से लौटा दी जावेगी । ठे का स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेण्डर से विमुख होगा या 5 दिन में प्रतिभूति की रकम जमा नहीं करायेगा व अनुबंध नहीं भरेगा तो उसकी धरोहर राशि की रकम जब्त कर ली जावे गी ।
- 4. जिस फर्म का ठेका मंजूर होगा उसे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) से सूचना मिलने के 3 दिन के अन्दर रूपये 3% (तीन) प्रतिशत राशि बतौर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- 5. ठेकेदार, दैनिक दरें, निर्धारित प्रारूप में, लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए देनी होगी तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का प्रमाण मांगने पर देना होगा।

- 6. फर्म द्वारा उपबल्ध करवाये जा रहे डाटा एन्ट्री आपरेटर में निम्न योग्यता होनी चाहिए:-
 - (i) कर्मचारी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो एवं न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
 - (ii) उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA/BCA/PGDCA इत्यादि का डिग्री धा रक हो या किसी अन्य कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो ।
 - (iii) एम.एस. आफिस/एम.एस.एक्सेल इत्यादि एप्लीकेशन में कुशल होना आवश्यक है।
 - (iv) डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य कम से कम 15000 key-Depression प्रति घण्टे की गति से करता हो । गति का निर्धारण कम्प्यूटर पर गति परीक्षण द्वारा किया जावेगा ।
 - (v) कर्मचारी अच्छा व्यवहार, स्व-अनुशाषित, विनम्र होना चाहिए ।
- 7. ठेके की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इच्छुक फर्म को ठेका प्रारम्भ में एक साल की अविध के लिए दिया जावेगा । कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर अविध बढाई जा सकती है ।
- 8. कार्य दिवसों में कार्य साधारणतया प्रात: 9.30 से सांय 6.00 बजे तक का होगा । एक माह में आ वश्यकतान्सार 20 से 26 कार्यदिवस होंगें ।
- 9. निर्धारित समय पर आवंटित कार्य न करने पर हुई असुविधा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा । इ स सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा ।
- 10. ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी के सद्व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा, उचित व्यवहार न करने वाले कर्मचारी को शिकायत मिलने पर काम से हटाना होगा ।
- 11.GST, EPF, ESIC इत्यादि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा व इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रसत्त करना होगा ।
- 12. ठेकेदार को अपनी फर्म का रजिसट्रेशन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।
- 13. ठेकेदार को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी सभी हिदायतों व आदेशों का अनुबंध में समावेश ना होते हुए भी पालना करना होगा ।
- 14. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये एक माह का लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा । यद ि एक माह का नोटिस दिये बगैर ठेकेदार छोड देता है तो उसकी समस्त जमा राशियां जब्त की जा सकेंगी ।
- 15. इस ठेके के अर्न्तगत किस भी शर्त अथवा दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसे प्रधान महा लेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा ।
- 16. फर्म अपने कर्मचारी को फोटो वाला पहचान पत्र देगी जो कि कार्य के दौरान पहने रहेंगें।
- 17. फर्म निम्न प्रकार के अधिनियमों का पालन करेगी तथा किसी प्रकार की कमी होने पर स्वंय जिम् मेदारी होगी:-
 - (a) Contract labor (Regulation & Abolition), Act 1970.
 - (b) Minimum Wages Act.
 - (c) Workmen's Compensation Act.
 - (d) Any other rules, regulations and/ or statutes as may be applicable to t hem from time to time.
- 18. ठेकेदार अपने व कर्मचारी के निवास स्थान का पूरा पता मय सबूत (आधार कार्ड या परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) लिखित में देगा ताकि डाक द्वरा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये नोटिस पत्र या सूचना ठेकेदार को प्राप्त हो सके ।
- 19. फर्म जिस कर्मचारी को कार्य पर रखेगी उनको कार्यालय के नियमों का पालन करना होगा तथा का र्यालय की कोई भी सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा ।

- 20. ठके पर रखे जाने वाले कर्मचारी केवल और केवल ठेके के कर्मचारी होगें उनके साथ कार्यालय का कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा तथा बाद में वह नियमित कर्मचारी होने का कोई भी दावा पेश नहीं करेगा।
- 21. ठेकेदार की प्रतिभूति की राशि ठेका समाप्त होने के तीन माह के बाद लौटाई जावेगी । ठेके की स माप्ति पर या ठेके की शर्त के प्रावधान की कार्यवाही के बाद प्रतिभूति की राशि अथवा बची हुई राशि ठेकेदार को उनके लिखित आवेदन पर लौटा दी जावेगी ।
- 22. उक्त शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को 500/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमित पत्र देना होगा ।
- 23. यदि ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई या उसके खिलाफ कोई शि कायत पायी गयी तो उस कर्मचारी को उसी दिन कार्यस्थल से हटाकर अविलंब अन्य कर्मचारी को लगाना होगा तथा उस कर्मचारी की उस दिन की मजदूरी देय नहीं होगी।
- 24. फर्म को राशि का भुगतान प्रत्येक महीने दिनों के हिसा से माह की 10 तारीख तक कर दिया जावेगा । इसके लिए उसको अपने कर्मचारी की मासिक उपस्थिति प्रत्येक महीने के अन्त में प्रस् तुत करनी होगी ।
- 25. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर की संख्या से तीन गुणा प्रस्तावित डाटा एन्ट्री आपरेटर की सूची देगा, जिसमें से इस कार्यालय को चयन करने का अधिकार रहेगा।
- 26. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय-समय पर TDS काटा जायेगा।
- 27. यदि यह प्रमाणित होता है कि कार्यालय के परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सर कारी संपत्ति के साथ छेड-छाड की गई है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी व हानि की रा शि फर्म द्वारा वहन की जावेगी।
- 28. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

हस

ता./-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.

11. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

12. Buyer Added Bid Specific SLA

Text Clause(s)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: जी.डी.।/बाह्य सुत्रोत डी.ई.ओ./बिड/ 2023-24/के.

दिनांक:

विषय:- 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर को बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर रखने हेतु ।

 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अपने कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 (अविध 01.04.2023 से 31.03.2024) तक 03 (तीन) डाटा एन्ट्री आपरेटर क ो बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर लेने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से जो कि ऐसे का र्य में निपुण हो तथा विभिन्न सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालयों में एैसी पूर्ति करती रही हो उन से निविदाऐं आमंत्रित करता है। निविदा में दरें प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये प्रारूप में देनी होगी।

- 2. कार्य का प्रकार:- ठेके पर रखे गये कर्मचारियों को डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य एवं हिन्दी एवं अंग्रे जी टाईपिंग समबनधी कार्य करना होगा ।
- 3. निविदा की योग्यताएं:-
- (i) फर्म अवश्य ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत/प्रमाणित हो तथा उसका कार्यालय परिसर जयपुर में हो ।
- (ii) फर्म का अपना वैध PAN/TAN, BRN (Business Registration Number) तथा GST पं जीकरण प्रमाण पत्र हो ।
- (iii) फर्म ESIC तथा EPFO प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो ।
- (iv) फर्म ने कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त शाषी संस् थाओं में कार्य करते हुए प्राप्त किया हो । इस संबंध में सभी दस्तावेज साथ में सलग्न होने चाहिए ।
- (v) फर्म श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करती हो ।
- (vi) निविदा केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- 1. निविदा के साथ राशि रूपये 21,500/- (अक्षरे राशि रूपये इक्कीस हजार पांच सौ मात्र) बतौर धरो हर राशि निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट (Pay & Accounts Officer, IA&AD, Rajasthan, Jai pur) के नाम से जमा करानी होगी ।
- 2. धरोहर राशि का साक्ष्य बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा साथ ही बिड की अंतिम तारीख/ खोलने क ी तारीख से पांच दिन पूर्व मूल डी.डी. कार्यालय में प्रसत्त करना होगा ।
- 3. जिस फर्म को ठेका मंजूर नहीं होगा उसकी धरोहर राशि की रकम मूल रूप से लौटा दी जावेगी । ठे का स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेण्डर से विमुख होगा या 5 दिन में प्रतिभूति की रकम जमा नहीं करायेगा व अनुबंध नहीं भरेगा तो उसकी धरोहर राशि की रकम जब्त कर ली जावे गी।
- 4. जिस फर्म का ठेका मंजूर होगा उसे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) से सूचना मिलने के 3 दिन के अनुदर रूपये 3% (तीन) प्रतिशत राशि बतौर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- 5. ठेकेदार, दैनिक दरें, निर्धारित प्रारूप में, लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए देनी होगी तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का प्रमाण मांगने पर देना होगा।
- 6. फर्म द्वारा उपबल्ध करवाये जा रहे डाटा एन्ट्री आपरेटर में निम्न योग्यता होनी चाहिए:-
 - (i) कर्मचारी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो एवं न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
 - (ii) उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA/BCA/PGDCA इत्यादि का डिग्री धा

- रक हो या किसी अन्य कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो ।
- (iii) एम.एस. आफिस/एम.एस.एक्सेल इत्यादि एप्लीकेशन में कुशल होना आवश्यक है।
- (iv) डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्य कम से कम 15000 key-Depression प्रति घण्टे की गति से करता हो । गति का निर्धारण कमप्यूटर पर गति परीक्षण द्वारा किया जावेगा ।
- (v) कर्मचारी अच्छा व्यवहार, स्व-अनुशाषित, विनम्र होना चाहिए ।
- 7. ठेके की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इच्छुक फर्म को ठेका प्रारम्भ में एक साल की अविध के लिए दिया जावेगा । कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर अविध बढाई जा सकती है ।
- 8. कार्य दिवसों में कार्य साधारणतया प्रात: 9.30 से सांय 6.00 बजे तक का होगा । एक माह में आ वश्यकतानुसार 20 से 26 कार्यदिवस होंगें ।
- 9. निर्धारित समय पर आवंटित कार्य न करने पर हुई असुविधा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा । इ स सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा ।
- 10. ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी के सद्व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा, उचित व्यवहार न करने वाले कर्मचारी को शिकायत मिलने पर काम से हटाना होगा ।
- 11. GST, EPF, ESIC इत्यादि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा व इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- 12. ठेकेदार को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।
- 13. ठेकेदार को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी सभी हिदायतों व आदेशों का अनुबंध में समावेश ना होते हुए भी पालना करना होगा ।
- 14. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये एक माह का लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा । यद ि एक माह का नोटिस दिये बगैर ठेकेदार छोड देता है तो उसकी समस्त जमा राशियां जब्त की जा सकेंगी ।
- 15. इस ठेके के अर्न्तगत किस भी शर्त अथवा दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसे प्रधान महा लेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा ।
- 16. फर्म अपने कर्मचारी को फोटो वाला पहचान पत्र देगी जो कि कार्य के दौरान पहने रहेंगें।
- 17. फर्म निम्न प्रकार के अधिनियमों का पालन करेगी तथा किसी प्रकार की कमी होने पर स्वंय जिम् मेदारी होगी:-
 - (a) Contract labor (Regulation & Abolition), Act 1970.
 - (b) Minimum Wages Act.
 - (c) Workmen's Compensation Act.
 - (d) Any other rules, regulations and/ or statutes as may be applicable to t hem from time to time.
- 18. ठेकेदार अपने व कर्मचारी के निवास स्थान का पूरा पता मय सबूत (आधार कार्ड या परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) लिखित में देगा ताकि डाक द्वरा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये नोटिस पत्र या सूचना ठेकेदार को प्राप्त हो सके।
- 19. फर्म जिस कर्मचारी को कार्य पर रखेगी उनको कार्यालय के नियमों का पालन करना होगा तथा का र्यालय की कोई भी सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा ।
- 20. ठके पर रखे जाने वाले कर्मचारी केवल और केवल ठेके के कर्मचारी होगें उनके साथ कार्यालय का कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा तथा बाद में वह नियमित कर्मचारी होने का कोई भी दावा पेश नहीं करेगा।

- 21. ठेकेदार की प्रतिभूति की राशि ठेका समाप्त होने के तीन माह के बाद लौटाई जावेगी । ठेके की समापि पर या ठेके की शर्त के प्रावधान की कार्यवाही के बाद प्रतिभूति की राशि अथवा बची हुई राशि ठेकेदार को उनके लिखित आवेदन पर लौटा दी जावेगी ।
- 22. उक्त शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को 500/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमित पत्र देना होगा ।
- 23. यदि ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई या उसके खिलाफ कोई शि कायत पायी गयी तो उस कर्मचारी को उसी दिन कार्यस्थल से हटाकर अविलंब अन्य कर्मचारी को लगाना होगा तथा उस कर्मचारी की उस दिन की मजदूरी देय नहीं होगी।
- 24. फर्म को राशि का भुगतान प्रत्येक महीने दिनों के हिसा से माह की 10 तारीख तक कर दिया जावेगा । इसके लिए उसको अपने कर्मचारी की मासिक उपस्थिति प्रत्येक महीने के अन्त में प्रस् तुत करनी होगी ।
- 25. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार 03 डाटा एन्ट्री आपरेटर की संख्या से तीन गुणा प्रस्तावित डाटा एन्ट्री आपरेटर की सूची देगा, जिसमें से इस कार्यालय को चयन करने का अधिकार रहेगा।
- 26. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय-समय पर TDS काटा जायेगा।
- 27. यदि यह प्रमाणित होता है कि कार्यालय के परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सर कारी संपत्ति के साथ छेड-छाड की गई है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जावेगी।
- 28. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

ਗ./-

हस्

वरिषठ लेखाधिकारी/जी.डी.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

- 1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
- 2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
- 3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
- 4. Creating BoQ bid for single item.
- 5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
- 6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
- 7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
- 8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
- 9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without

- specifying equivalent Indian Certification / standards.
- 10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
- 11. Creating bid for items from irrelevant categories.
- 12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
- 13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
- 14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the <u>General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्त</u>, conditions stipulated in Bid and <u>Service Level Agreement</u> specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्ते is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---